



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 102/XXXVI(3)/2014/12(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2014)

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2002) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए -

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों।

संक्षिप्त नाम/शीर्षक
और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का

2. (1) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नवत उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात:-

(2) आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम- निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे।

धारा 4 का

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात:-

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

आज्ञा से,

के0डी0 मट्टर,
प्रमुख सचिव।